



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीबी 021/2022-बीएचओ/

दिनांक : 23/02/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत (online proposal No. FP/MP/ROAD138467/2021) ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1141/2022/10-11/207 दिनांक 09/01/2024.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/298 दिनांक 22/02/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 15/02/2024 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 22/02/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. When was the work in violation started?
2. Whether any authority has passed orders in contravention of provisions of FCA?
3. What action has been taken against the offenders?
4. The State Govt. shall submit a detailed action taken report of violation, name of violator/offender/sub ordinate officers. The concerned DFO should refer to the guideline Para 1.16 of the Handbook before determining the type of violation and submitting the action taken report.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

*Yairla*

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।